(77)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष

आर0के0 मिश्रा

सदस्य

निगरानी प्र0क0–III/निग0/2017/3865 विरूद्ध आदेश दिनाक 08/09/17 पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक–259–अपील/अ–27/2016–17

1– कुसुमकली पत्नी स्व0 रामसजीवन ब्रा0

2– वृजेन्द्र प्रसाद | निगरानीकर्ता क0–2 ता 5 के पिता स्व0 रामसजीवन ब्रा0

3– धर्मेन्द्र प्रसाद

4– देवेन्द्र प्रसाद

5– बालेन्द्र प्रसाद

6– सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

7– नरेन्द्र कुमार तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

8– महेन्द्र कुमार तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

9– रावेन्द्र कुमार तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

सभी निवासी ग्राम जितौही, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

——— निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1– प्रेमवती पत्नी महेन्द्र मिश्रा, निवासी ग्राम पतेरी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

2– शासन म0प्र0 द्वारा पटवारी हल्का मड़वा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्तागण

(आवेदकगण द्वारा श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अभिभाषक)
(अनावेदक द्वारा श्री विकास मिश्रा अभिभाषक)

आदेश

(आज दिनांक 23/7/18 को पारित)

निगरानीकर्ता की ओर से अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क0–259/अपील/अ–27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 08/09/17 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में मात्र संहिता लिखा जावेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई ।

2– मामले का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मड़वा, तहसील हुजूर, जिला रीवा स्थित भूमि खसरा नं0–1561 रकवा 0.53 ए0 व 1562 रकवा 2.24 ए0 मुस0 लल्ली वेवा रामप्रताप ब्रा0, निवासी ग्राम मड़वा के नाम राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित थी जिसका बिना किसी वैध अंतरण व बिना किसी आधार के ग्राम मड़वा की पंजी क0–24 दिनांक 30/06/87 का गलत विवरण दे करके निगरानीकर्ता प्रेमवती के नाम राजस्व अभिलेखो में प्रवृष्टि अंकित कर दी गई, इस सम्बन्ध में कलेक्टर जिला रीवा के यहां शिकायत होने पर उनके द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा से जॉच कराई गई । नायब तहसीलदार द्वारा उनका विस्तृत जॉच प्रतिवेदन कमांक–2/अ–6/97–98 दिनांक 21/09/98 अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के माध्यम से कलेक्टर रीवा की ओर भेजा गया कि *''ग्राम मड़वा राजस्व निरीक्षक मण्डल गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा की नामांतरण पंजी क0–24 वर्ष 1986–87 में पारित आदेश दिनांक 03/06/87 में भूमि खसरा नं0–1561 रकवा 0.53 ए0 व 1562 रकवा 2.24 ए0 का कोई आदेश प्रेमवती पत्नी महेन्द्र मिश्रा, निवासी पतेरी के नाम पारित नही किया गया है, बल्कि उक्त पंजी कमांक में अन्य भूमियां अन्य व्यक्तियों के नाम पर प्रवृष्टि अंकित है, इस प्रकार पंजी क0–24 दिनांक 30/06/1987 की झूठी प्रवृष्टि का हवाला देकर अभिलेख में तब्दीली करना पूर्णतः अवैध प्रतीत होता है ।''*

3– नायब तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा उनके न्यायालय में प्रकरण क0–24/अ–6/स्वमेव निगरानी/ 98–99 द्वारा

दिनांक 10/11/98 को स्वमेव निगरानी में मामला दर्ज कर, निगरानीकर्ता प्रेमवती को संहिता की धारा 50 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी की गई जिसका जवाब उसके तरफ से दिया गया । तत्पश्चात् दिनांक 10/05/2014 को निगरानी प्रथम दृष्टया समाप्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिस पर आयुक्त द्वारा प्रकरण क0–164/निगरानी/ 2005–06 पंजीबद्ध कर, उभयपक्षों की सुनवाई कर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 10/05/2014 निरस्त करते हुये, पुनः जॉच करने, पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया ।

4– अपर आयुक्त रीवा के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 23/03/10 के निर्देश में कलेक्टर द्वारा नये सिरे से मामला क0–150/अ–6/ स्वमेव निगरानी/09–10 दर्ज करते हुये उभयपक्षों को तलब किया गया एवं दिनांक 17/07/2012 को पूर्व में पारित कलेक्टर का आदेश दिनांक 10/05/2004 में किसी फेरफार की आवश्यकता न समझते हुये यथावत् रखा गया ।

5– कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 17/07/12 से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा म0प्र0 राजस्व मण्डल में पुनः निगरानी दायर की गई, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क0–2362II/12 पंजीबद्ध करते हुये उभयपक्ष की सुनवाई कर, कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 17/07/12 यथावत् रखा गया और गैरनिगरानीकर्ता की निगरानी दिनांक 30/01/16 को खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता रामसजीवन के वारिसान कुसुमकली वगैरह व अन्य के द्वारा इस न्यायालय में रिव्यू प्रकरण क0–498–II/13 दायर की गई, जिस पर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुये दिनांक 03/01/13 को पूर्व आदेश दिनांक 15/07/2013 परिवर्तित करके पुनः गुण–दोष पर सुनवाई हेतु पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया गया है ।

तदोपरांत नये सिरे से प्रकरण में उभयपक्षो की सुनवाई कर कलेक्टर रीवा का आक्षेपित आदेश दिनांक 17/07/12 निरस्त करते हुये, यह निर्देशित किया गया कि "प्रकरण क0–150/अ–6/स्वमेव निगरानी/09–10 को खोले एवं जॉच परीक्षण आदि व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये उनके आदेश के पैरा–4 में लिखे बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकालते हुये, बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें ।"

6– इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी श्री आशीष श्रीवास्तव जी के उक्त प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 31/03/2016 के अनुपालन में कलेक्टर रीवा द्वारा पुनः नये सिरे से प्रकरण क0–15/ अ–6/स्वमेव निगरानी/15–16 पंजीबद्ध करते हुये उभयपक्ष को आहूत किया गया । कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 09/07/2016 को उभयपक्षों के तर्क को सुना एवं मामले में वाद बिन्दु निर्धारित कर अधीक्षक भू–अभिलेख रीवा से विस्तृत प्रतिवेदन देने हेतु आदेशित किया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख रीवा द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 27/03/2016 को प्रेषित किया गया, तत्पश्चात् उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश करने के उपरांत कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 04/01/2017 को विस्तृत विवेचना कर अंतिम आदेश पारित किया गया । जिसमें निगरानीकर्ता प्रेमवती के नाम पर की गई अवैध प्रवृष्टि को निरस्त करते हुये, संहिता की धारा 177 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, तहसील हुजूर को आदेशित किया गया । साथ ही राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं पटवारी के विरूद्ध उसके द्वारा दो समानान्तर नामांतरण पंजी अवैधानिक रूप से शासकीय अभिलेख मे हेरा–फेरी करने के प्रयोजन से संधारित करने के आरोप में उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया । कलेक्टर के इसी प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी दायर की गई है ।

7— कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 04/01/17 के संदर्भ में आवेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा (जिसे आगे संक्षेप में विचारण न्यायालय कहा जावेगा) के न्यायालय में अभिलेख दुरस्तगी वावत् आवेदन पेश करने पर विचारण न्यायालय द्वारा मामला संस्थित कर भूमि ख0नं0—1561, 1562 के मृत भूमिस्वामी के बजाय उनके विधिक वारिसों के नाम उनकी परस्पर सहमति से सभी का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज करने का आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, के न्यायालय में अपील दायर की गई । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में कैवियट दायर कर मामले को ग्राह्यता के बिन्दु पर ही समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया, किन्तु मामला प्रचलन योग्य पाये जाने का उल्लेख करते हुये अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य कर ली गई, जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दायर की गई ।

8— अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली तलब की गई । अनावेदिका को जरिये सम्मन आहूत किया गया, उसकी ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विकास मिश्रा उपस्थित हुये । मामले में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये ।

9— आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 04/01/2017 के संदर्भ में धारा 177 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के तहत मृतक भूमिस्वामी के बजाय उनके ज्ञात विधिक उत्तराधिकारियों के नाम आपसी सहमति से अभिलेख दुरूस्त किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता नही है । इसके अतिरिक्त यह भी तर्क किया गया कि अभिलेख दुरूस्तगी/इत्तलायाबी के विरूद्ध अपील नही हो सकती, क्योंकि कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता की ओर से

राजस्व मण्डल में निगरानी दायर की गई है, जो कि इस मामले के साथ समानान्तर रूप से प्रचलित है ।

10— अनावेदिका के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में 10 लोगों के नाम नामांतरण किया गया है । सभी को पक्षकार नही बनाया गया आदेश 1 नियम 10 का आवेदन खारिज कर दिया गया है । साक्ष्य भी नही ली गई है । उनका यह भी तर्क है कि निगरानी खारिज कर, उनका हक दिलाया जाय ।

11— विचारण न्यायालय द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 04/01/2017 के संदर्भ में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर मामला संस्थित कर कार्यवाही करते हुये इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, पटवारी हल्का से प्रतिवेदन लिया गया, पटवारी द्वारा स्थल पंचनामा एवं आपसी सहमति का फर्द बटवारा तैयार कर विस्तृत प्रतिवेदन सहित पेश किया गया । आवेदक देवेन्द्र प्रसाद व सजरा में उल्लेखित राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 महेश प्रसाद मिश्रा का साक्ष्य हेतु कथन लिया गया, तत्पश्चात् मुताबिक सजरा सभी वारिसानों का नाम उनके हिस्से के अनुसार बटवारा पुल्ली के आधार पर पटवारी हल्का को राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज किये जाने हेतु आदेशित किया गया ।

12— विचारण न्यायालय के उपरोक्त कार्यवाही व आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में सभी पक्षकारों की सहमति से मुताबिक सजरा खानदान व आपसी सहमति के फर्द बटवारा के आधार पर राजस्व अभिलेखो में अलग–अलग नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया गया है । वैसे भी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता की तरफ से निगरानी प्रकरण आर–5060–II/17 दायर की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है ।

13— उपरोक्त स्थिति में गैरनिगरानीकर्ता का यह तथ्य मान्य योग्य नही है कि सभी को पक्षकार नही बनाया गया, मामले में साक्ष्य नही ली गई । उनका यह तर्क भी मान्य योग्य नही है कि उन्हे हक दिलाया जाय । क्योंकि जो बटवारा पुल्ली व सजरा खानदान विचारण न्यायालय में पेश किया गया है उस पर किसी की कोई आपत्ति व विरोध नही है अर्थात् वह स्वीकृत है, जिसमें गैरनिगरानीकर्ता प्रेमवती का भी हक व हिस्सा पृथक से सुरक्षित है । अन्य कई हकदारों का भी नाम बटवारा पुल्ली व सजरा खानदान में वर्णित है, उनके द्वारा मामले में कोई आपत्ति व विरोध नही की गई है । यदि अनावेदिका का अन्य तरीके से कोई हक प्रभावित होता है तो वह सक्षम न्यायालय से अपने हक का विनिश्चय कराने हेतु स्वतंत्र है ।

अतः उपरोक्त समस्त वस्तुस्थिति के आलोक में विचारण न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30/03/2017 में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि परिलक्षित नही होती है, बल्कि कलेक्टर के आदेश के पालन में अभिलेख दुरस्त करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने की कोई अधिकारिता नही है । विशेषकर, जबकि कलेक्टर के मूल आदेश के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता द्वारा इस न्यायालय में (राजस्व मण्डल) में निगरानी दायर की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 08/09/2017 निरस्त करते हुये आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाती है ।

23/7/18

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य,
म0प्र0 राजस्व मण्डल